अध्याय - 8 ऑनलाइन मैनेजमेंट, मॉनीटरिंग एवं एकाउंटिंग सिस्टम (ओम्मास)

8.1 प्रस्तावना

ऑनलाइन मैनेजमेंट, मॉनीटरिंग एवं एकाउंटिंग सिस्टम (ओम्मास) साफ्टवेयर को केंद्रीयकृत डाटाबेस के साथ एक ऑनलाइन वेब आधारित प्रणाली के रूप में पीएमजीएसवाई के लिए एडवांसड कम्प्यूटिंग विकास केंद्र (सी-डैक पुणे) द्वारा डिजाइन किया गया। इसे कार्यक्रम मॉनीटरिंग के लिए तंत्र के रूप में विकसित किया गया है तथा यह विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने वाले प्राधिकारियों की आवश्यकताओं को पूरा करना अभिप्रेत है। कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं को प्रबंधित करने वाले अधिकारियों से प्रासंगिक मॉड्यूल में उनके द्वारा किए गए लेनदेन एवं सड़क विवरणों से संबंधित ऑनलाइन डाटा को प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

सॉफ्टवेयर पीएमजीएसवाई के प्रत्येक प्रक्रिया को शामिल करते हुए विभिन्न मॉड्यूल शामिल करता है जैसा कि **तालिका 8.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 8.1

क्र.सं.	मॉड्यूल का नाम	मॉड्यूल का विवरण
(i)	मास्टर डाटा मॉड्यूल	जिलों, घटकों, ब्लॉकों, गॉवों, बस्तियों, पंचायतों, सड़कों और ठेकेदारों आदि से संबंधित मास्टर डाटा।
(ii)	कोर नेटवर्क (ग्रामीण सड़क योजना)	जिला ग्रामीण सड़क योजना (डीआरआरपी) सड़क डाटा (राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)/राज्य राजमार्ग (एसएच)/मुख्य जिला सड़कें (एमडीआर)/ग्रामीण सड़क/लिंकखट/माध्यम मार्ग से संबंधित डाटा)।
(iii)	प्रोपोज़ल मॉड्यूल	कोर नेटवर्क से सड़क लिंकों के चयन पर आधारित प्रस्ताव।
(iv)	टेंडर मॉड्यूल	निविदा डाटा, ठेकेदार को दिए गए काम के विवरण
(v)	एक्जिक्यूशन मॉड्यूल	निर्माण कार्यों की प्रगति (भौतिक/वित्तीय)
(vi)	ऑनलाइन फंड प्रोसेसिंग	एसआरआरडीए से मंत्रालय को निधियों के लिए आवेदनों पर कार्य हो रहा था जहां राज्य प्रस्ताव को शुरूआत

क्र.सं.	मॉड्यूल का नाम	मॉड्यूल का विवरण
		करता है और सारी आवश्यक एवं प्रासंगिक सूचना को एमओआरडी को प्रस्तुत करने के आवेदन को प्रेषित करता है। मंत्रालय के परियोजना एवं वित्त विभागों से दो संस्वीकृतियों के पश्चात, संस्वीकृत एवं निर्गम राशि को बताते हुए राज्य को संस्वीकृति पत्र जारी किया जाता है।
(vii)	क्वालिटी मॉनीटरिंग मॉड्यूल	राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों (एनक्यूएम) द्वारा किए गए गुणवत्ता नियंत्रण (क्यूसी) निरीक्षण से संबंधित डाटा।
(viii)	रिसीट एंड पेमेंट मॉड्यूल	प्रत्येक सड़क निर्माण कार्य के प्रति वर्गीकृत व्यय से संबंधित लेखांकन डाटा।
(ix)	मेंटेनेंस मॉड्यूल	पाँच वर्षों का भौतिक एवं वित्तीय डाटा।
(x)	सिक्यूरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल	उपभोक्ताओं के सृजन, भूमिकाओं के सृजन, मेनू का भूमिकाओं के रूप में मानचित्रण तथा उपभोक्ताओं को भूमिकाओं को सौंपना।
(xi)	एनालिसिस ऑफ रेट ऑफ रूरल रोड्स (एआरआरआर)	एनालिसिस ऑफ रेट ऑफ रूरल रोड्स (एआरआरआर) मॉड्यूल विभिन्न मदों के लिए दरों की अनुसूची बनाने के लिए विकसित किया गया है। दरों की अनुसूची (एसओआर), जो कि भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा प्रकाशित ग्रामीण सड़कों हेतु विशिष्टताएं से व्युत्पन्न कार्य के विभिन्न मदों के विश्लेषण पर आधारित थे।
(xii)	रिसीट एंड पेमेंट बैंक मॉड्यूल	बैंक मॉड्यूल का उपयोग बैंक कर्मियों द्वारा उपयोग किया जाता है, जहां एसआरआरडीए का पीएमजीएसवाई निर्माण कार्यों से संबंधित खाता है। उस राज्य के डीपीआईयू द्वारा ठेकेदारों को जारी चैक या डीपीआईयू द्वारा सृजित ई-भुगतान निर्देशों को यहां सूचीबद्ध किया गया है। जब बैंक वाऊचर से संबंधित चैक/ई-भुगतान को करता है, तब बैंक प्राधिकरण लॉगइन करता है और इसका पुनर्मिलान करता है और यह डीपीआईयू और एसआरआरडीए रिपोर्टों में दर्शाता है।
(xiii)	डाटा गैप	प्रस्तावों की प्रविष्टियों में डाटा अंतरालों को देखने का प्रावधान रिपोर्ट भाग के अंतर्गत दिया गया है।
(xiv)	अपडेशन ऑफ यूज़र मैन्युअल	लॉगइन के अंतर्गत उपयोगकर्ता नियम पुस्तिका अद्यतित एवं उपलब्ध है। ओम्मास में नवीनतम संवर्द्धनों को उपयोगकर्ता नियमपुस्तिका में अनुबंध के रूप में प्रदान किया गया है।

8.2 पूर्व लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2000-01 से 2004-05 के लिए पीएमजीएसवाई की निष्पादन लेखापरीक्षा जनवरी और जून 2005 के बीच की गयी थी और ऑनलाइन मैनेजमेंट, मॉनीटरिंग एवं एकाउंटिंग सिस्टम (ओम्मास) के बारे में लेखापरीक्षा निष्कर्षों को 2006 के प्रतिवेदन सं. 13 (संघ सरकार/सिविल) अध्याय 4, पैरा 4.11 के माध्यम से संसद को सूचित किया गया था।

पीएसी ने अपने 72वीं प्रतिवेदन (14 वीं लोकसभा) में अनुशंसित किया कि मंत्रालय ने व्यावहारिक कार्य योजना विकसित करके कमियों को हटाने की दृष्टि से ओम्मास के कार्यान्वयन की संवीक्षा की थी। इसके अतिरिक्त, ओम्मास के एकाउंटिंग मॉड्यूल को कार्यान्वित किया जाना चाहिए ताकि वह कार्यक्रम के वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए मंत्रालय और राज्यों के लिए अतिरिक्त साधन हों। समिति ने यह भी अनुशंसित किया कि राज्यों को ऑनलाइन सूचना अद्धतित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए और जहां ओम्मस संस्थापित नहीं है, वहां मंत्रालय को प्रणाली को शीघ्र संस्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

मंत्रालय ने अपनी कार्रवाई रिपोर्ट (पीएसी की 82वीं रिपोर्ट के अनुसार) बताया (अक्तूबर 2008) कि ओम्मास के कार्यान्वयन की संपूर्ण संवीक्षा राज्यों एवं सी-डैक के परामर्श के साथ की जा रही थी। प्रणाली में कमियों का आकलन किया गया था और व्यापक समीक्षा एवं राज्यों के साथ चर्चा के पश्चात् एक कार्रवाई योजना बनाई गई थी। सी-डैक द्वारा सॉफ्टवेयर मुद्दों को देखा गया है, जिसने कार्यक्रम के कार्यान्वयन एवं ट्रबल शूटिंग के लिए मंत्रालय/एनआरआरडीए की सहायता के लिए एनआरआरडीए में एक दल रखा था। राज्यों की प्रशिक्षण जरूरत/आवश्यकताओं का आकलन किया जा रहा है और नियमित रूप से प्रदान किया जा रहा है। समिति द्वारा दी गई सलाह के अनुसार, ओम्मास में डाटा अपडेशन की नियमित रूप से संवीक्षा की जानी चाहिए और राज्यों को तदनुसार सलाह दी जानी चाहिए।

8.3 वेबसाइट की जांच

चूंकि प्रणाली मुख्य रूप से कार्यान्वयन पदक्रम (पीआईयू, एसआरआरडीए आदि) के विभिन्न स्तरों पर देश भर के उपयोगताओं के इनपुटों पर आधारित

थी, कार्यक्रम वेबसाइट http://www.omms.nic.in को ज्ञान अर्जित करने तथा नागरिकों और पणधारियों को वेबसाइट द्वारा प्रदान सूचना की यथार्थता का सत्यापन करने के लिए जांच की गई थी।

वेबसाइट द्वारा निकाली गयी स्टेट बैलेंस शीट रिपोर्ट ने बिना असमाधान बैंक प्राधिकरणों को ₹(-)18,61,52,07,228.70 {ऋण शेष ₹(-)23,61,08,17,205.43 और जमा शेष ₹4,99,56,09,976.73, शामिल है} और अनरिकंसाइल्ड प्रोग्राम फंड ₹(-)1,54,95,85,24,743.70, के रूप में दर्शाई गई थी। **(अनुबंध-8.1)**

एनआरआरडीए ने बताया (मार्च 2016) कि ओम्मास में प्राप्ति एवं भुगतान मॉड्यूल में अद्यतित करके राज्यों के साथ नियमित अनुसरण करने के पश्चात् असमाधान हुए शेषों को कम किया गया था। यह दर्शाता है कि 13 वर्षों से अधिक तक ओम्मास मॉड्यूल के कार्यान्वयन के पश्चात् भी, राज्य अभी भी प्राप्ति एवं भुगतान मॉड्यूल का अद्यतन करने की प्रक्रिया में है जो कि प्रणाली के कार्यान्वयन के प्रति निरूत्साही दृष्टिकोण को दर्शाता है ।

जुलाई 2015 तक वेबसाइट के माध्यम से सृजित सभी राज्य रिपोर्टों के लिए निविदा अनुबंध विवरणों में समझौते के मूल्य को ₹42,37,45,27,424.51, लाख दर्शाया था जो कि अत्यंत अधिक थी (₹1,79,78,547.62 लाख की संस्वीकृत लागत का 2,357 बार) और प्रत्यक्ष रूप से अविश्वसनीय है। नागालैण्ड और सिक्किम केवल ऐसे राज्य है जिनमें संस्वीकृत लागत निकटतम रूप से करार मूल्य से मेल खाती है। **(अनुबंध - 8.2)** एनआरआरडीए ने तथ्यों को स्वीकार किया (मार्च 2016) तथा बताया कि आज तक काफी डाटा सुधार लिया गया था जिसे कि सभी राज्यों लिए पूरा कर लिया गया था। 29 मई 2016 तक, ₹83,11,572.94 लाख की संस्वीकृत लागत के प्रति निविदा कीमत ₹1,91,99,222,75 लाख है।

8.4 राज्यों में मॉड्यूल का कार्यान्वयन न होना

- 14 माड्यूलों में से, ऑनलाइन फंड प्रोसेसिंग (ओएफपी) और एआरआरआर मॉड्यूल को कार्यान्वित नहीं किया गया था।
- लेनदेन और समाधान के लिए पीआईयू के साथ बैंकों को प्राप्ति एवं भुगतान बैंक मॉड्यूल से जोड़ने का कार्य 28 राज्यों में से केवल छः में कार्यान्वित किया गया था।

8.5 ओम्मास डाटाबेस का धीमा अपडेशन

कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के पैरा 12.2 परिकल्पित करता है कि प्रशासनिक और यात्रा व्यय का निर्गम ओम्मास माड्यूलों के निरंतर अपडेट पर निर्भर होगा। पैरा 9.3 परिकल्पित करता है कि एक वर्ष की द्वितीय किस्त का निर्गम तब होगा जब आउटपुट को एसआरआरडीए द्वारा ओम्मास के संबंधित मॉड्यूल उचित रूप से प्रमाणित होगा और सही होगा।

यद्यपि प्राप्ति एवं भुगतान मॉड्यूल जो कि प्रत्येक सड़क निर्माण कार्य के प्रति वर्गीकृत व्यय से संबंधित लेखांकन डाटा रखने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण मॉड्यूल था, सितम्बर 2015 तक सभी राज्यों में कार्यान्वित किया गया है, अगस्त 2015 तक 37 राज्य अभिकरणों में से केवल आठ ने डाटा अद्यतित किया था। मंत्रालय ने सूचित किया (अक्तूबर 2016) कि ओम्मास (रिसिट एंड पेमेंट मॉड्यूल) में प्रविष्टियां अद्यतित करने के लिए राज्यों को इस संबंध में निर्देश दिए जा रहे हैं।

एनआरआरडीए ने बताया (मार्च 2016) कि 8 मार्च 2016 तक, 37 राज्य अभिकरणों में से, मार्च 2015 तक 23 ने अपने खातों को अपडेट कर लिया है, मई 2016 तक, छः और अभिकरणों ने मार्च 2015 तक डाटा अपडेट कर लिया था जिससे कि राज्य अभिकरणों की संख्या 29 तक हो गई थी।

यह भी पाया गया था कि मंत्रालय ने राज्यों को (अगस्त 2009) सितम्बर 2009 से प्रभावी प्रशासनिक निधियों एवं कार्यक्रम निधियां प्राप्त करने हेतु योग्यता प्राप्त करने के लिए ओम्मास डाटाबेस को अद्यतित करने के निर्देश दिए। हालांकि आठ राज्य अभिकरण अभी भी ओम्मास डाटा अपडेट करने की प्रक्रिया में थे।

अतः, ओम्मास लागू होने के 13 वर्षों से अधिक के पश्चात् मंत्रालय अभी भी निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए हाथ से तैयार हुई मासिक प्रगति रिपोर्टों (एमपीआर) पर विश्वास करता है क्योंकि ओम्मास पर डाटा अपडेशन करने की मूल आवश्यकता को प्राप्त नहीं किया गया था। जबकि ओम्मास द्वारा सृजित यह एमआईएस रिपोर्टें गलत और अविश्वसनीय थीं।

मंत्रालय ने फिर से राज्यों (अक्तूबर 2015, दिसम्बर 2015 और जनवरी 2016) को ओम्मास डाटाबेस अपडेट करने का निर्देश दिया।

8.6 परिचालन नियंत्रणों की कमी

परिचालन नियंत्रणों का उद्देश्य अभिलेखों के सही और पूरा होने और उनमें की गई प्रविष्टियों की वैधता को सुनिश्चित करता है। परिचालन नियंत्रणों की अनुपस्थिति के कारण अवैध डाटा प्रविष्टि हुई थी जिसके कारणवश प्रणाली के माध्यम से त्रुटिपूर्ण/गलत एमआईएस रिपोर्टें प्राप्त हुई। सीएएटी (आइडिया) का उपयोग करते हुए ओम्मास के मास्टर/लेनदेन फाइलों के विश्लेषण ने विसंगतियां दर्शाई जिन्हें **तालिका 8.2** में दिया गया है।

तालिका-8.2 : डाटाबेस विसंगतियां

क्र. सं.	तालिका नाम	विसंगति
1.	omms_PLAN_ROAD:- यह योजना सड़कों के विवरण रखता है।	4,07,250 सड़क प्रविष्टियों में से 875 मामलों में Plan_RD_Total_LEN शून्य था।
2.	omms_MASTER_ HABITATIONS_DETAILS: - यह बस्तियों के विवरण रखता था।	(i) मास्टर फाइल में 15,67,583 अभिलेखों में से 2,00,830 अभिलेखों की जनसंख्या 'शून्य' थी और 4,807 मामलों में जनसंख्या एकल अंक (एक से नौ के बीच) थी जिससे कि सीएनसीपीएल और सीयूपीएल सूची का गलत सृजन हुआ जोकि बस्तियों की जनसंख्या पर आधारित था। (ii) 4,14,070 बस्तियां कार्यक्रम दिशा-निर्देश में प्रावधान किए गए रूप में जनगणना 2001 की बजाए जनगणना 2011 से संबंधित थे। (iii) 5,60,470 बस्तियों को जुड़ा हुआ नहीं दिखाया गया था और 5,93,028 को जुड़ा हुआ दिखाया गया था जोकि बस्तियों की कुल संख्या से अधिक थे (11,53,513) (iv) 1,847 जुड़ी हुई एवं 928 न जुड़ी हुई बस्तियों की जनसंख्या को 'शून्य' दर्शाया गया था।
3.	omms_MASTER_ CONTRACTOR :- यह ठेकेदारों के विवरण रखता है।	(i) Cont_ID सं. 173 से 202 तक, ठेकेदार के नाम की फील्ड में केवल डॉट (.)था तथा Cont_ID सं. 207 से 213 तक, यह 'शून्य'(0) था तथा Cont ID सं. 405 से 418 तक 'ABC' था।

क्र. सं.	तालिका नाम	विसंगति
		(ii) 23,984 अभिलेखों में से ठेकेदार पंजीकरण वैधता अवधि को 23,467 मामलों (98 प्रतिशत) में नहीं लिया गया था। (iii) 23,984 अभिलेखों में से 5,515 अभिलेखों (3,784+241+485+1,005, अर्थात् 23 प्रतिशत) में अवैध पैन संख्याएं थीं। (iv) 23,984 अभिलेखों में से, 3,362 (14 प्रतिशत) में शून्य या '0' या '00000000' या '999999999' (117 मामले) मोबाइल नम्बरों के रूप में थे।
4.	omms_TEND_AGREEMENT_MASTER :- यह निविदा अनुबंध के विवरण रखता है।	(i) 95,334 अनुबंध अभिलेखों में से, 48,712 मामलों (52 प्रतिशत) में कार्य की शुरूआत की तिथि कार्य प्रदान करने की तिथि से पूर्व की थी। (ii) 95,334 अनुबंध अभिलेखों में से, कार्य प्रदान करने की तिथि (14,656 मामलों में) कार्य आदेश की तिथि (1619 मामले), कार्य की शुरूआत की तिथि (37,054 मामले), कार्य की समाप्ति की तिथि (15,866 मामले) रखे नहीं गए थे तथा '00-00-0000' तिथि दर्शाई गई थी। (iii) उपभोगकर्ता नियमपुस्तक के अनुसार, फील्ड में प्रविष्ट करने वाला निविदा अनुबंध राशि '₹लाख में' होना चाहिए परंतु कुल निविदा अनुबंध राशि ₹33,563,532,899.12 लाख (33,56,35,328.99 करोड़) दर्शाई गई थी क्योंकि फील्ड में लाख में ₹ की बजाय वास्तविक आंकड़े शामिल हैं जिसके कारणवश गलत एमआईएस रिपोर्टिंग हुई थी। (iv) 2,087 मामलों में, निविदा राशि नहीं रखी गई थी और शून्य दर्शाया गया था तथा दो मामलों में रखे गए थे लेकिन शून्य से कम थी (नकारात्मक)।
5.	ACC_Bank_Details Master :- इसमें बैंक खाता विवरण रखे	(i) 109 बैंक खाता विवरणों में से, आठ अभिलेख

क्र. सं.	तालिका नाम	विसंगति
	गए थे।	बिना बैंक खाता संख्या के थे। (ii) 109 बैंक खाता विवरणों में से, बैंक खाता खुलने की तिथि वर्ष 2000 से पूर्व की थी तथा दो मामलों में, यह 01.01.1960 थी जोकि तिथि फील्ड में वैलिडेशन की कमी दिखाता है। बैंक का नाम, शाखा का नाम, बैंक खाता संख्या, पता 1, दूरभाष 1, बैंक की ईमेल आईडी और खाता खुलने की तिथि अनिवार्य फील्ड होते हुए रिक्त नहीं छोड़े जा सकते थे, परंतु 109 बैंक खाता विवरण 1 बैंक नाम, 2 शाखा नाम, 8 बैंक खाता संख्या, 25 बैंक पते, 38 दूरभाष 1 संख्या, 27 ईमेल आईडी और 21 बैंक खाता खोलने की तिथि नहीं दी गई थी जोकि वैलिडेशन चैक्स की अनुपस्थिति दिखाता था।
6.	omms_ACC_BILL_DETAILS :- इसमें बिलों के विवरण रखे गए हैं।	(i) 14,100,116 प्रविष्टियों में से, 9,22,374 प्रविष्टियां, राशि फील्ड में प्रविष्टि ही नहीं की गई थीं।
7.	omms_EXEC_ROADS_MONTHLY_STATUS : इसमें सड़क निष्पादन विवरण रखे गए हैं।	(i) 10,28,179 प्रविष्टयां में से, 52 प्रविष्टयों वर्ष 1990 से 1999 का निष्पादन दिया गया है जोकि योजना की शुरूआत (वर्ष 2000) से पूर्व के थे। आठ प्रविष्टियों में वर्ष फील्ड '1', '2', '3', '4', '5', '10' भी शामिल थे जोकि फील्ड में वैलिडिशन चैक्स की कमी दर्शाता है।
8.	omms_MANE_CN_PCI_INDEX :- इसमें कोर नेटवर्क सड़कों के लिए पेवमेंट कंडिशन इंडेक्स (पीसीआई) रखा गया है।	(i) 9,38,042 प्रविष्टियों में से,1,596 प्रविष्टियों में पीसीआई सूचकांक '0' के रूप में दिया गया था जोकि अवैध है। (ii) 9,38,042 प्रविष्टियों में से, 36,374 प्रविष्टियों में सतह प्रकार '0' के रूप में शामिल था जोकि अवैध है।
9.	omms_MANE_ER_PCI_INDEX : इसमें मौजूदा सड़कों के लिए पेवमेंट कंडिशन इंडेक्स (पीसीआई) रखा गया है।	(i) 6,33,841 प्रविष्टियों में से, 12 प्रविष्टियों में पीसीआई सूचकांक '0' के रूप में शामिल था जोकि अवैध है। (ii) 6,33,841 प्रविष्टियों में से, 58,320 प्रविष्टियों

क्र. सं.	तालिका नाम	विसंगति
		में सतह प्रकार '0' शामिल था जोकि अवैध है।
10.	omms_MANE_IMS_PCI_INDEX : इसमें रख-रखाव की जाने वाली सड़कों के लिए पेवमेंट कंडिशन इंडेक्स (पीसीआई) रखा जाता है।	(i) 1,54,199 प्रविष्टियों में से, 12 प्रविष्टियां पीसीआई सूचकांक '0' के रूप में दर्शाया गया है जोकि अवैध है। (ii) 1,54,199 प्रविष्टियों में से, 1230 प्रविष्टियों में सतह प्रकार '0' के रूप में दर्शाया गया है जोकि अवैध है।
11.	omms_ACC_CHQ_BOOK_DETAILS :- इसमें चैक बुक विवरण, चैक बुक लीफ शुरूआत सं. एवं चैक बुक लीफ एंड रखे गए थे।	चैक बुक विवरणों की 27,781 प्रविष्टियों में से, दो प्रविष्टियों में चैक बुक लीफ की शुरूआत चैक बुक लीफ की अंतिम संख्या की तुलना में अधिक थी। यह फील्डों में वैलिडेशन नियंत्रण की कमी दिखाता है।
12.	omms_IMS_SANCTIONED_PROJECTS : इसमें संस्वीकृत परियोजनाओं के विवरण शामिल थे।	संस्वीकृत परियोजनाओं के लिए 1,76,120 प्रविष्टियों में से, 99,549 प्रविष्टियों (57 प्रतिशत) में न तो उपयोगकर्ता आईडी और न ही आईपी एड्रैस दिया गया था जिनसे प्रविष्टियां की गई थीं जोकि प्रणाली को लेखापरीक्षा ट्रायल के लिए अपेक्षित लॉगस को ढूंढ पाने में असमर्थ कर देता है।
13.	omms_ACC_RPT_FINAL_BILL_PAYMENT PENDING : इसमें लंबित भुगतान के विवरण शामिल थे।	1,46,496 प्रविष्टियों में से, 1,696 प्रविष्टियों में लंबित वर्ष के रूप में वर्ष 1950 के बिल भी शामिल थे।
14.	omms_QUALITY_QM_INSPECTION_FILE : इसमें एनक्यूएम द्वारा किए गए निरीक्षणों के विवरण शामिल थे।	10,02,620 अभिलेखों में से, फाइल अपलोड तिथियां 4,63,792 (46.25 प्रतिशत) की प्रविष्टियां नहीं थीं। 68 अभिलेखों में, फाइल अपलोड तिथियां ('6.1.1980', '7.1.1980', '8.1.1980', '1.1.1982', और '2.1.1982') जो कार्यक्रम की शुरूआत से भी पूर्व की थी।

ओम्मास एप्लीकेशन में वैलिडेशन चैक्स की कमी के कारण गलत डाटा प्रविष्टियां हुई जिनके परिणामस्वरूप अविश्वसनीय एमआईएस रिपोर्टों का सृजन हुआ।

एनआरआरडीए ने बताया (अप्रैल 2016) कि पैन सं., निविदा अनुबंध राशि, पीसीआई, सूचकांक एवं चैकबुक विवरणों हेतु अपेक्षित वैलिडेशन चैक्स को नए वर्जन, अर्थात्, 2014 में शुरू हुए ओम्मास 2.0 में शामिल कर लिया गया है। विभाग ने अन्य अभ्युक्तियों का कोई उत्तर नहीं दिया था। हालांकि, अभी भी पूर्व में प्रविष्टि किए गए गलत/अवैध डाटा को ठीक करने की आवश्यकता थी ताकि विश्वसनीय एवं प्रमाणिक एमआईएस रिपोर्टें सृजित की जा सकें।

8.7 राज्यों में आईटी अवसंचरना

सामान्य नियन्त्रणों को शामिल करते हुए 11-बिंदु प्रश्नावली राज्यों को जारी की गई थी ताकि कम्प्यूटर हार्डवेयर, प्रशिक्षित श्रमशक्ति, ओम्मास में की गई डाटा प्रविष्टियों को प्रमाणित करने के लिए पर्यवेक्षी नियंत्रणों का प्रावधान हो सके तथा सभी राज्यों को ओम्मास के माध्यम से विभिन्न एमआईएस रिपोर्टें जारी करने का आदेश जारी किया गया था।

सूचना प्रणाली नोडल अधिकारी (आईटीएनओ) पीआईयू स्तर पर डाटा प्रविष्टि की प्रगति को मॉनीटर करने, पर्यवेक्षण बल्क डाटा प्रविष्टि तथा राज्य के अन्य आईटी संबंधित कार्यों का प्रबंध करने के लिए जिम्मेदार है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- तीन राज्यों (**गुजरात**, **कनार्टक** एवं **जम्मू एवं कश्मीर**) में आईटी नोडल अधिकारी को नियुक्त ही नहीं किया गया था।
- नौ राज्यों (**बिहार, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एवं नागालैण्ड**) में कम्प्यूटर हार्डवेयर के लिए एएमसी प्रदान की गई थी।
- चार राज्यों (**अरूणाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश**) में, डाटा प्रविष्टि की जांच/प्रमाणिक करने के लिए कोई पर्यवेक्षी प्रावधान नहीं था।
- अन्य विवरण **अनुबंध- 8.3** में दिए गए हैं।

एनआरआरडीए ने सूचित किया (अप्रैल 2016) कि आईटीएनओ केवल 21 राज्यों में नामांकित किए गए थे। **गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर** और **कर्नाटक** अभी भी सूची में नहीं हैं।

निष्कर्ष

13 वर्षों से अधिक बीत जाने के पश्चात् भी, राज्य ओम्मास डाटा को अपडेट करने की प्रकिया में थे। फंड प्रोसेसिंग एवं एआरआरआर मॉड्यूल कार्यान्वित नहीं किए गए थे। एप्लीकेशन नियंत्रणों की अनुपस्तिथि के कारण अवैध डाटा प्रविष्टियां हुई थी। प्रणाली के माध्यम से सृजित एमआईएस रिपोर्टें गलत और अविश्वसनीय थीं।

अनुशंसा

मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ओम्मास के परिचालन में आई कमियों को ठीक किया जा सके ताकि यह कार्यक्रम के कार्यान्वयन में मॉनीटरिंग एवं निर्णय लेने के लिए प्रभावी साधन के रूप में कार्य कर सके।

नई दिल्ली
दिनांक : 13 जुलाई 2016

(मुकेश प्रसाद सिंह)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय व्यय

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : 14 जुलाई 2016

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक